न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (151)

R 93-II-17-

श्री .... द्वारा आज दि. 5-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संगमलाल तनय धर्मनारायण मिश्रा निवासी ग्राम टुड़ियार तहसील कोरांव जिला इलाहाबद उ0प्र0

-----आवेदक

बिरुद्ध

1. श्रीप्रकाश तनय जगदीश प्रसाद
2. ज्ञानप्रकाश तनय जगदीश प्रसाद
3. देवेन्द्रप्रकाश तनय जगदीश प्रसाद
4. बैकुण्ठनाथ तनय प्रयागदास

   सभी निवासी मिर्जापुर हाल निवासी सगरा खुर्द तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

5. राजकरण पाण्डेय तनय पदमाक्ष प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम सिंगटी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
6. रामेश्वर प्रसाद तनय सुदर्शन प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम सगरा कला तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
7. हिंछलाल तनय रामगरीब मिश्रा

   सभी निवासी ग्राम सगरा तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

8. म0प्र0 शासन

----अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 93–दो/2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–02–2017	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर एवं म0प्र0 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने। 2/ प्रकरण में आवेदक के दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता ने बताया की उपरोक्त भूमियों के बावत बहुत पहले डिप्टी कमिश्नर पूर्वी रीवा जिला रीवा राज्य रीवा कैम्प मऊगंज के प्रकरण कमांक 1328/1938 आदेश दिनांक 8–10–1938 को उपरोक्त भूमियों गैवीनाथ ब्राम्हण को मालकाना हक में प्राप्त हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि जब तहसीलदार तहसील हनुमना के आदेश दिनांक 4–7–09 जिसके द्वारा अभिलेख अद्यतन हेतु था उस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में हुई जसका प्रकरण कमांक 81/अ–6–अ/08–09 आदेश दिनांक 16–2–2009 के द्वारा यथावत रखा गया तो उक्त तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में चल रहा ही नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त तथ्यों व दस्तावेजों को गौर करना चाहिये। चूंकि मामला आवेदक और शासन के बीच है शेष अनावेदक अनौपचारिक पक्षकार है। 3/ मेरे द्वारा उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया भूमि नं0 227 एवं 224 के बावत अलग–अलग आदेश पारित हुये। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज केवियेटकर्ता ने प्रस्तुत किया उसमें खतौनी में भिन्नता पाई गई थी तो अधीनस्थ न्यायालय को जांच	

करानी चाहिए थी। आवेदक की अपील के कुछ तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया लेकिन जो भूमियां शासन दर्ज करने का आदेश दिया है वह गलत है। अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई उपरांत अनियमितता उनके वहां की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अनुविभागीय अधिकारी को यह देखना चाहिये की जब तहसीलदार हनुमना के आदेश दिनांक 02–3–1997 के विरूद्ध जब अनावेदक रामेश्वर प्रसाद ने निगरानी दायर करके चुनौती दिया तो फिर वही आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार नहीं था। वैसे भी अनुविभागलीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी। लेकिन इस बिन्दु कोई बोलता हुआ आदेश नहीं दिया। अपर कलेक्टर रीवा ने क्रमांक 16–2–2009 के द्वारा निगरानी खारिज करके दोनों अपीलीय न्यायालयों ने विचारण न्यायालय की पत्रावली को तलब नहीं किया। प्रश्नाधीन भूमियां ख्सरा कमांक 224 के पूर्व भूमिस्वामी मुस0 अनुप्रिया खतौनी में दर्ज अभिलेख थी। भूमि कं 227 के भूमिस्वामी रीवा राज्य के नाम से थी। मुस0 अनुप्रिया से गैवीनाथ को भूमि प्र0कं0 12/1938–39 आदेश दिनांक 6–12–1938 के द्वारा प्राप्त हुई तथा भूमि कं 227 के बावत डिप्टी कमिश्नर पूर्वी जिला रीवा राज्य रीवा कैम्प मऊगंज के प्र0कं0 1328/38 आदेश दिनांक 8–10–1938 को गैवीनाथ ब्राम्हण व सरकार बहादुर रियासत के बीच में मामला चला जिसमें उक्त भूमियों के मालिकाना हक का आदेश गैवीनाथ ब्राम्हण के नाम हुआ। तब से उक्त भूमियों के मालिक भूमिस्वामी गैवीनाथ हो गये और गैवीनाथ ने अपने पुत्र उमाकांत को दे दिये। सन् 1964–65 में उमाकान्त ने आवेदक संगमलाल के उक्त भूमि जरिये बेची नामांतरण

करा दिया। लेकिन उक्त आदेश का पालन नहीं हो पाया। इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को बल मिलता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 29/अ–6–अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 02–8–1997 तथा उसी क्रममें 56/अ–74/08–09 पारित आदेश दिनांक 04–7–2009 को यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर